99

सं0 /IV(2)श0वि0–2013–80(सा0)/10

प्रेषक,

एम0एच0 खान,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
देहरादून, उत्तरांचल।

शहरी विकास अनुभाग–2:

देहरादून, दिनांक– २8 मार्च, 2013

विषय : स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 168/IV(2)–श0वि0–2013–80(सा0)/10, दिनांक 11.02.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती रोजगार योजनान्तर्गत केन्द्रांश के रूप में अवमुक्त प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि ₹ 37.78 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2– उपरोक्त के क्रम में आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अपने पत्र दिनांक 27.02.2013 द्वारा स्वर्ण जयंती रोजगार योजनान्तर्गत द्वितीय किश्त हेतु केन्द्रांश के रूप में कुल ₹ 3,12,98,000.00 की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। तद्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना हेतु स्वीकृत केन्द्रांश के सापेक्ष देय 10 प्रतिशत राज्यांश **₹ 34.78 लाख (रूपये चौंतीस लाख अठ्ठहत्तर हजार मात्र)** को संलग्नक–I, II, III बीएम–9 (भाग – एक) प्रपत्रों में उल्लिखित मदों के बचतों के व्यावर्तन से व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) उक्त धनराशि आहरित कर निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तराखण्ड को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी, जो कि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार तथा शासन द्वारा निहित शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी।

(ii) उक्त अनुदान का उपयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रयोजन के लिए निर्धारित सीमा तक व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण केन्द्रॉश तथा उस पर अनुमन्य अनुपातिक राज्यॉश की सीमा तक ही किया जायेगा।

(iv) व्यय करते समय वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुवल/उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 तथा इसके क्रय में समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश मितव्ययिता के विषय में शासन के आदेश एवं तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

(v) प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (उत्तराखण्ड) को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य भेज दी जाय।

(vi) इस धनराशि का उपयोग दिनांक 31–3–2013 तक अवश्य कर लिया जाय। उसके प्रथम त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार व शासन को अविलम्ब उपलब्ध करा दिये जाय। एक वर्ष की निर्धारित अवधि के बाद अप्रयुक्त धनराशि यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को समर्पित करनी होगी। उक्त विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी।

(vii) योजनान्तर्गत निर्माण कार्यो हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने से पूर्व निकायों से प्राप्त प्रस्ताव पर शासन का अनुमोदन अवश्य प्राप्त किया जायेगा ताकि एक कार्य हेतु दो निधि से धनराशि अवमुक्त न हो।

(viii) निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड आहरण की प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य कर लेगें।

(ix) अनुदान संख्या–30 एवं 31 के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का मासिक प्रगति रिपोर्ट, भौतिक प्रगति सहित समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ तथा शहरी विकास विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा, जो कि अनुदान संख्या–13 की प्रगति आख्या के अतिरिक्त होगा।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष–2012–13 के आय–व्ययक के **अनुदान सं0–13,** लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधारित योजना–01–स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना–20–सहायक अनुदान/ अंशदान/राजसहायता के नामे **₹ 27.48 लाख, अनुदान सं0–30,** लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधारित योजना–01–स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना–20–सहायक अनुदान/ अंशदान/राजसहायता के नामे **₹ 6.26 लाख** एवं **अनुदान सं0–31,** लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधारित योजना–01–स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना–20–सहायक अनुदान/ अंशदान/राजसहायता के नामे **₹ 1.04 लाख** डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0पत्रसं0: 1117/XXVII(2)/2012, दिनांक 25 मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

5– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(2)/2012, दिनांक 28.03.2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार क्रमशः अलॉटमेन्ट आई0डी0 S 1303130702, S 1303300703 एवं S 1303310705 के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0एच0 खान)
सचिव।

सं0 454 (1)/IV(2)-श0वि0–2013,तद्दिनांक।

**प्रतिलिपिः** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– निदेशक, ई0एम0पी0ए0, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4– निदेशक, स्थानीय निधि, कोषागार, डालनवाला, देहरादून।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून/समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7– समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8– निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
10– गार्ड बुक।

आज्ञा से

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।